एरोड्रम थाना क्षेत्र में साढ़े 13 साल पहले हुए अंधेकत्ल का खुलासा, 2 अरेस्ट

प्रेम प्रसंग में हत्या कर लाश फेंक दी थी गिट्टी की खदान में

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत साढ़े तेरह साल पहले हुए एक अंधेकत्ल का खुलासा करने में बाणगंगा पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी थी और बाद में लाश को गिट्टी की खदान में शव को फेंक दिया था।

बाणगंगा थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले दो युवकों ने एक युवक की सिर कुचलकर व चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी तभी से इधर-उधर कमरा बदलकर रह रहे हैं। आपस में भी बातचीत कम करते हैं। जब भी मिलते हैं तो एकांत में ही बैठे रहते हैं। शंका होने पर पुलिस ने संदिग्ध युवक आर्यन सरदार उर्फ रितेश सिंह पिता नरेन्द्र सिंह दीवान निवासी 105/3, कृष्णबाग कॉलोनी से सघन पूछताछ की। पहले तो उनसे पुलिस को बरगलाया, मगर जब पुलिस ने सख्ती की तो सारी घटना बता दी।

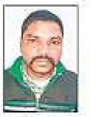
आरोपी संजू

आरोपी आर्यन

उसने बताया कि वर्ष-2006 में अपने दोस्त संजू योगी के साथ मिलकर मिथिलेश नामक व्यक्ति को पत्थर से सिर कुचलकर एवं चाकू से गोद हत्या कर दी थी। आरोपी द्वारा हत्या का कारण बताया कि मिथिलेश की पत्नी राधा को संजू योगी पसंद करता था और संजू योगी राधा को अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था। मामले में पुलिस ने संजू पिता ओमप्रकाश योगी निवासी 122, आदर्श गणपति नगर गणेशधाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वारदात के बाद कहां फरारी काटी और उनकी मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी एरोड्रम पुलिस को दी गई है।

कुटुम्ब न्यायालय में दामाद को पीटा

इंदौर। कुटुम्ब न्यायालय में तलाक के केस के दौरान जज के सामने दामाद से सास ने मारपीट की। संयोगितागंज पुलिस के अनुसार यहां राहुल व उसकी पत्नी शिवानी का तलाक का केस चल रहा है। केस की सुनवाई थी, इस दौरान शिवानी की मां रोहिणी दुलारे ने मजिस्ट्रेट के सामने ही राहुल को थप्पड़ जड़ दिए। वकीलों व अन्य लोगों ने बचाया।

महिला से अश्लील हरकत

इंदौर। झोपड़ी में घुसकर बदमाश ने महिला से अश्लील हरकत कर दी। घटना भमोरी की है। यहां झुग्गी में रहने वाली महिला की झोपड़ी में पास ही रहने वाला महेश जाट घुस गया। महिला को अकेला पाकर उससे अश्लील हरकत शुरू कर दी। महिला चिल्लाई तो उसके बच्चे आ गए। उन्हें देखकर महेश भाग निकला। पुलिस विजयनगर जांच कर रही है।

चोरी- इंदौर। सूने मकान में घुसकर चोर हजारों नकदी चुरा ले गया। खजराना पुलिस ने बताया [illegible] कॉलोनी के निसार अहमद लखनवी के सूने मकान पर यह वारदात हुई।

बैंक में जमा पीएफ का पैसा किसी अन्य के खाते में चला गया

लापरवाही... आरबीआई से आई चिट्ठी, तब दर्ज हुई शिकायत

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला के पीएफ का पैसा बैंक में जमा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब महिला बैंक पहुंची तो पता चला कि उसका पैसा किसी अन्य कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। महिला का कहना है कि जब उसने कोई चेक जारी ही नहीं किया तो उसका पैसा कैसे किसी अन्य खाते में चला गया। आरबीआई के पत्र के बाद विजयनगर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पाइप कारखाने में काम करती थी पीड़िता- विजय नगर पुलिस के अनुसार, छोटा बांगड़दा के विकास नगर में रहने वाली अनिता अग्निहोत्री ने शिकायत दर्ज की है।

विजयनगर पुलिस ने शुरू की जांच

महिला ने शिकायत में बताया कि वह रामबलि नगर स्थित एक पाइप कारखाने में काम करती थी। कारखाने में आग लगने से यह बंद हो गया। उसके पीएफ के 42 हजार रुपए आईसीआईसीआई बैंक के मालव परिसर शाखा में जमा हुए थे। अनिता अपना पैसा निकालने बैंक पहुंची तो पता चला कि 24 जनवरी, 2018 को ये पैसा सफल सेल्स कंपनी के खाते में ट्रांसफर हो गया है।

बैंक ने कहा, चेक जारी किया, महिला बोली, नहीं किया- मामले में बैंक वालों ने अनिता को कहा कि उसके द्वारा चेक जारी किया गया था। इसके बाद पैसा ट्रांसफर किया गया, जबकि अनिता का कहना है कि उसने कोई चेक किसी को नहीं दिया। महिला ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर दी। वहां से शिकायत आरबीआई के भेजी गई। आरबीआई ने बैंक को मामले के संबंध में पत्र लिखा। तब बैंकवालों ने महिला से कहा कि वह थाने में शिकायत करें। इस पर महिला ने विजय नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

बदले की नीयत से महिला को करने लगा अश्लील पोस्ट...!

दो साल से थी दोस्ती, बनाई फर्जी फेसबुक आईडी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

एक युवक ने बदले की नीयत से अपनी सहकर्मी महिला की पहले तो फर्जी तरीके से आईडी बनाई, इसके बाद उसे अश्लील पोस्ट करने लगा।

सायबर सेल के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह ने बताया कि 25 मई को आवेदिका आशा (परिवर्तित नाम) निवासी महूनाका ने लिखित शिकायत की थी। शिकायत में महिला ने बताया कि राजसिंह नामक व्यक्ति उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पोस्ट डाल रहा है। पोस्ट में वह मुझे कॉलगर्ल का लेख कर रहा है। शिकायत जांच के दौरान प्रकाश में आया कि फर्जी फेसबुक आईडी पंकज पिता विद्याधर नेहरा निवासी चंदावा झुनझुनू (राजस्थान) हाल मुकाम फ्लैट नंबर 102 गुरुनानक अपार्टमेंट 1, शिवमपुरी (भोलाराम उस्ताद मार्ग) के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बनी होना पाया गया। आरोपी पंकज नेहरा जो कि एडविस्टा कोचिंग क्लासेस के संचालक को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही अनुसार घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं सिम जब्त की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि युवती को वह दो साल से जानता है एवं उससे नजदीकी संबंध थे। युवती को अन्य दोस्त के साथ रिश्ता जुड़ने से नाराज होकर बदला लेने को नीयत से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी।

दो सूदखोरों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

सुसाइड नोट में मृतक ने लिखे थे नाम

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

सूदखोर से परेशान होकर एक युवक ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में परेशान करने का उल्लेख किया गया था। लसूड़िया थाना प्रभारी संतोष दूधी को मृतक महेश के भाई विष्णु दुसान ने बताया कि वह भागीरथपुरा में रहता है। उसके भाई ने कुछ दिन पहले लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले ऋषभ और टिंडी से पारिवारिक कार्य के लिए एक लाख रुपए उधार लिए थे। परिवार में आर्थिक संकट गहराने से वह मूल राशि और ब्याज नहीं चुका पाया। राशि बकाया होने से दोनों सूदखोरों ने उसे जमकर मानसिक प्रताड़ना दी। कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। सूदखोरों से परेशान होकर महेश ने 22 नवंबर को अपने घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले महेश ने दोनों सूदखोरों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। अभी आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं।

महिला से दुष्कर्म करने वाला धराया

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

बुटिक व ब्यूटी पॉर्लर की संचालक के साथ 10 साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है।

खजराना थाना प्रभारी प्रीतमसिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी महिला का पति 11 साल पहले बिना बताए घर से कहीं चला गया था तथा वह अकेली रहती थी। वह आरोपी जफर बेग को पिछले 10 सालों से जानती थी, जो उसे रिश्तेदार की शादी में मिला था। इससे उसकी दोस्ती हो गई तथा वह उसके घर आने-जाने लगा। वर्ष-2009 को वह उसके घर आया और उससे शादी का बोलकर उसके साथ गलत काम किया तथा लगातार करता रहा, जिससे उसे 6 वर्षीय पुत्री है। वह जब भी जफर बेग से शादी का बोलती तो वह आजकल करता तथा जान से मारने की धमकी देता था तथा कहता था कि मैं पूरे जीवन बिना शादी के उसका साथ दूंगा, किन्तु उसकी पुत्री की तबीयत खराब हुई तो उसने उसका इलाज नहीं कराया। जफर की जब मर्जी होती वह घर आता तथा शादी का झांसा देकर गलत काम करता। 30 नवंबर को वह घर आया तथा उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। फोन लगाने पर शादी नहीं करने की धमकी देता है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बड़वाली चौकी से आरोपी जफर पिता अफजल बेग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व से शादीशुदा है तथा उसकी 3 बच्चियां हैं। जफर बड़वाली चौकी घर के नीचे किराने की दुकान चलाता है।

महिला को प्रताड़ना

इंदौर। महिला को प्रताड़ित करने वाले ससुराल पक्ष के चार लोगों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। अन्नपूर्णा थाने में सुदामा नगर निवासी आशा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि पति घनश्याम व ससुराल पक्ष के राजेश, इंदा व मांगीलाल शर्मा आए दिन किसी न किसी बात पर उसे प्रताड़ित करते हैं।

65वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में भारती उपाध्याय का चयन

पीपुल्स संवाददाता ● मानपुर

मो.नं. 9893940321

65वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) में जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर (इंदौर) की होनहार बालिका भारती उपाध्याय पिता अखिलेश उपाध्याय का चयन हुआ है। भारती 20 से 24 दिसम्बर तक इडस इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर (कर्नाटक) में आयोजित बैडमिंटन स्पर्धा में इंदौर संभाग की ओर से प्रतिनिधित्व करेगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उपरांत छात्रा भारती उपाध्याय का चयन एसजीएफ अ-14 बैंगलोर के लिए हुआ है। बालिका उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्राचार्य ओपी शर्मा, उपप्राचार्य पुष्पासिंह, मनोरमा तोमर, खेल शिक्षिका, डॉ. रेणु, आलोक शर्मा, केके शर्मा, एए शेख व राज्य शिक्षक संघ प्रदेश सचिव कमल जाट व मानपुर के जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों ने शुभकामनाएं दी हैं।

भारती उपाध्याय।

जेल में बांटी गीता भागवत एवं लगा दंत चिकित्सा शिविर

महू। सामाजिक संस्था प्रज्ञा सागर प्रबुद्ध संघ द्वारा महू उपजेल में कैदियों को भागवत गीता, शिवपुराण एवं बौद्धिक विकास हेतु सामान्य ज्ञान की सामग्री भेंट की गई एवं पढ़े-लिखे कैदी द्वारा अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने का कार्य शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। डेंटल कॉलेज अस्पताल राऊ के सहयोग से आधुनिक मशीनों से जेल में बंद 132 कैदियों एवं जेल स्टाफ का चेकअप किया गया। शिविर के तहत लगभग 40 मरीजों की मशीन द्वारा जांच की गई। अस्पताल के 13 चिकित्सकों की टीम द्वारा सेवाभावी कार्य किया गया। इस दौरान जेलर मनोज चौरसिया, मदन परमालिया, इंद्रदेव पांडे, संजय जैन उपस्थित थे। उक्त जानकारी जगमोहन सोन ने दी।

देवास-महू सहित पांच शहरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

[illegible]@peoplessamachar.co.in

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राज्य शासन की सहमति के बाद 5 शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इसमें देवास उज्जैन, रतलाम महू खरगोन शामिल हैं। इस संबंध में भोपाल में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिटिंग में मंजूर दी गई। इन शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम 1 से डेढ़ साल के समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लगभग 200 करोड़ का व्यय आएगा। इससे बिजली चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में आने वाले 15 जिलों में अब स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। कंपनी को 5 शहरों में मीटर लगाने की मंजूर मिल गई है। गुरुवार को राज्य शासन और शुक्रवार को बिजली कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इसकी अनुमति प्रदान की गई। मप्रपक्षेविविकं के एमडी विकास नरवाल ने बताया कि इन शहरों में 3.5 लाख रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर लगाए जाएंगे। इन पर कंपनी द्वारा लगभग 200 करोड़ का व्यय होगा। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की ओर से बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। इसी पर हुए निर्णय पर अब 5 शहरों को तय किया गया है। कंपनी एमडी विकास नरवाल ने बताया कि इस काम को पूरा करने में 1 से डेढ़ साल का समय लगेगा। इसमें घरेलू, गैर घरेलू और व्यावसायिक सहित सभी मीटर को बदला जाएगा। स्मार्ट मीटर के लगने के बाद प्रत्येक 300 से 400 मीटर एरिया में एक राउटर सिस्टम लगाया जाता है, जो उस क्षेत्र के सभी मीटरों का डाटा बिजली कंपनी के कंट्रोल रूम को भेजेगा। इन रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर में अलार्म, रिमोट डिस्कनेक्शन, एप से मीटर की यूनिट देखना सहित अन्य सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार इंदौर में पूर्व में लगे स्मार्ट मीटर का प्रयोग सफल रहे है।

भाजपा बैठक में बनी भीड़ जुटाने की रणनीति

महू। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। इस दौरान मालवा-निमाड़ अंचल के भाजपाई शक्ति प्रदर्शन कर अपनी-अपनी ताकत दिखाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं... लिहाजा विधानसभा स्तर पर भी इसको लेकर तैयारियां हैं। शुक्रवार को मोहन टॉकीज के सामने स्थित वाटिका में आयोजित भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक बार फिर शहर के मुकाबले अंचल के कार्यकर्ताओं की संख्या प्रभावी रही। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंदौर आगमन पर विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों का जोरदार स्वागत-सत्कार के लिए सभी ने भीड़ जुटाने के दावे किए।

संत शिरोमणि गाड़गे महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई धूमधाम से

महू। सर्वरजक समाज एकता समिति द्वारा संत गाड़गेजी के परिनिर्वाण दिवस पर सामाजिक आत्मीय स्मरण के रूप में गाड़गेजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। इसी अनुसार सर्वरजक समाज के सदस्यों ने शासकीय हॉस्पिटल में पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्किट और फल आदि का वितरण किया तथा समाज द्वारा कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर बुंदेला ने गाड़गेजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धा से अनुसरण करने की आवश्यकता है। मध्यभारत हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर मिश्रा ने कहा- गाड़गेजी ने संत के रूप में लोगों को स्वच्छता की भावना जगाते हुए लोगों को निर्मल किया। कैलाश कनोजिया द्वारा समाज सुधारक गाड़गेजी को नमन करते हुए उनका अनुसरण करने के लिए कहा।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कार्यालय संख्या 201-बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1 प्लॉट नंबर-बी 3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र - 400604

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मैसर्स हितेश कुमार नरेंद्र कुमार/ हितेश कुमार शर्मा/ गरिमा शर्मा/ अरविंद कुमार शर्मा/ नरेंद्र कुमार शर्मा-171605001261	1) खसरा नंबर 60, वार्ड नंबर 14, शास्त्री मार्ग, शुजालपुर मंडी, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 2) खसरा नंबर 60, वार्ड नंबर 14 पुराना, नया वार्ड 19, शास्त्री मार्ग, शुजालपुर मंडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश -465333 / 18 दिसंबर 2019	सितम्बर 07, 2019 रु. 65,16,027.49/-	शाजापुर

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो धारा नियम 8 और 9 [illegible] 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: दिसंबर 21, 2019
स्थान: शाजापुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

एस्पायर होम फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्ला सयानी रोड, एसटी डेपो के सामने
प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र-400025. ई-मेल: info@ahfcl.com सीआईएन: U65923MH2013PLC248741
शाखा कार्यालय: 414, चौथी मंजिल, प्लॉट नं. 4 व 5 मनोरमागंज, शेखा सेंट्रल, ए. बी. रोड, (वर्तमान में बीआरटीएस)
इंदौर-452001, मध्यप्रदेश. संपर्क नं.: क्षितिज दुबे - मोबाइल नं. 09372704851

विक्रय सह नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 अंतर्गत एस्पायर होम फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित [illegible] जैसा है, जैसा भी हो, आधार पर [illegible]

कर्जदार(ओं)/सहकर्जदार(ओं)/जमानतदार(ओं)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य (आरपी)	अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) (आरपी के 10%)
(लोन खाता क्र. LXIND00314-150001198/ इंदौर शाखा) राजेश हिंदूसिंह जाधव (कर्जदार) विनिता राजेश जाधव (सह कर्जदार)	08-02-2018 को रु. 638113/- (रु. छह लाख अड़तीस हजार एक सौ तेरह मात्र)	प्लॉट नं. 1-5, पटवारी हलका नं. 59, सर्वे नं. 124, 124/2/2, 125/2/2, 126/2/2, सार्थ प्राइम सिटी, लसूड़िया मालवा इंदौर, लसूड़िया 453771, इंदौर, मध्यप्रदेश	रु. 400000/- (रुपए चार लाख मात्र)	रु. 40000/- (रुपए चालीस हजार मात्र)

1. निविदाएं तथा केवायसी सहित निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त अंकित शाखा कार्यालय में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम दिनांक 24-01-2020 को सुबह 11:00 बजे है। [illegible]
2. संपत्ति हेतु बोली/प्रस्ताव (नीलामी दिनांक) खुलने की दिनांक 24-01-2020 को उपरोक्त अंकित शाखा कार्यालय में दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे है। निविदाएं अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
3. अचल संपत्तियों के निरीक्षण की दिनांक 27-12-2019 को प्रातः 11.30 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच है।
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible] 2002 [illegible] 30 दिन [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible] एस्पायर होम फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [illegible]
13. यह सूचना हमारी पोर्टल - https://motilaloswalhf.com/eauction-pdf पर भी प्रदर्शित है।

अधिक जानकारी हेतु अधिकृत प्राधिकारी या उपरोक्त अंकित कार्यालय पते पर संपर्क करें।

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 21.12.2019

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
एस्पायर होम फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

*अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

फार्म जी(टर्म एक्सटेंशन)
रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण
[illegible]
[illegible]

क्र.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	[illegible]
2.	कॉर्पोरेट देनदार को स्थापित करने की तारीख	21 जून, 2006
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार शामिल / पंजीकृत है	[illegible] मुंबई, [illegible]
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	[illegible]
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	102, [illegible], मुंबई-[illegible]
6.	कॉर्पोरेट देनदार की दिवालिया प्रारंभ तिथि	[illegible] 12.08.2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण की तारीख	21 दिसम्बर, 2019 (पूर्व में दिनांक 27 सितम्बर 2019) (वास्तविक दिनांक 26 अगस्त 2019)
8.	[illegible]	ip.mantubinox@gmail.com [illegible]
9.	[illegible]	ip.mantubinox@gmail.com [illegible]
10.	[illegible]	6 जनवरी 2019 (पूर्व में दिनांक 12 अक्टूबर 2019) (वास्तविक दिनांक 12 सितम्बर)
11.	[illegible]	09 जनवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 19 अक्टूबर 2019) (वास्तविक दिनांक 22 सितम्बर)
12.	[illegible]	12 जनवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 24 अक्टूबर 2019) (वास्तविक दिनांक 25 सितम्बर 2019)
13.	[illegible]	16 जनवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 31 अक्टूबर 2019) (वास्तविक दिनांक 25 अक्टूबर 2019)
14	[illegible]	12 जनवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 24 अक्टूबर 2019) (वास्तविक दिनांक 25 सितम्बर 2019)
15.	[illegible]	[illegible] ip.mantubinox@gmail.com [illegible]
16.	[illegible]	11 फरवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019) (वास्तविक दिनांक 25 अक्टूबर 2019)
17.	[illegible]	[illegible] ip.mantubinox@gmail.com [illegible]
18.	[illegible]	21 फरवरी 2020 (पूर्व में दिनांक 24 दिसम्बर 2019) (वास्तविक दिनांक 24 नवम्बर 2019)
19.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नाम : विकास गुप्ता [illegible] : IBBI/IPA-001/IP-P00501/2017-2018/10889
20.	समाधान पेशेवर का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नाम : विकास प्रकाश गुप्ता ईमेल आईडी : vikas.gupta@bngca.com [illegible]
21.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	ईमेल आईडी: ip.mantubinox@gmail.com [illegible] मुंबई 400059
22.	[illegible]	श्री विकास प्रकाश गुप्ता ईमेल आईडी: vikas.gupta@bngca.com
23	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	21 दिसम्बर 2019

विकास प्रकाश गुप्ता
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00501/2017-2018/10889
[illegible]

दिनांक: 21.12.2019
स्थान : मुंबई